रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935
No. 126] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

## सं.10/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 178(अ).**—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 15 जून, 2012 की अपनी अधिसूचना सं.15/1/2012-डीजीएडी, के अंतर्गत यूरोपियन युनियन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर एवं संयुक्त राष्ट्र अमरीका (यहां जिसे विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए एसीटोन (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में टैरिफ मद 29141100 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 11 मार्च, 2008 को सा.का.नि. सं. 174 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 33/2008-सीमा शुल्क एवं जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) दिनांक 29 मई, 2012 को सा.का.नि. 398(अ) के अंतर्गत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मई, 2012 को अधिसूचना संख्या 29/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा संशोधित किया गया था, के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 19 जुलाई, 2012 को सा.का.नि. सं. 579 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 37/2012- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 18 जून, 2013 तक विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड-1, में दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/1/2012-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो विषयगत वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश करने की संभावना है और इससे यदि विषयगत देशों से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

(ii) विषयगत देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आयेगी ।

(iii) अंत: संबद्ध देशों से विषयगत वस्तु पर पाटन रोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

| क्र.स. | टैरिफ शीर्ष | वस्तु विवरण | उद्गम देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | मापन की इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 29141100 | एसीटोन | सिंगापुर | सिंगापुर | कोई भी | मै0 मितसुई एंड कं0 लि0 | 158.11 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 2 | 29141100 | एसीटोन | सिंगापुर | सिंगापुर | कोई | मै0 सुमिटोमो कॉर्पोरेशन एंड | 147.15 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | मै0 पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजेडई.यूएई | | | |
| 3 | 29141100 | एसीटोन | सिंगापुर | सिंगापुर | क्र. सं. 1 तथा 2 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक तथा निर्यातक | | 240.06 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 4 | 29141100 | एसीटोन | सिंगापुर | सिंगापुर के अतिरिक्त कोई अन्य | कोई भी | कोई भी | 240.06 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 5 | 29141100 | एसीटोन | विषयगत देशों के अतिरिक्त कोई अन्य | सिंगापुर | कोई भी | कोई भी | 240.06 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 6 | 29141100 | एसीटोन | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | मै0 सासोल सॉल्वेंट्स | मै0 सासोल सॉल्वेंट्स | 141.95 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 7 | 29141100 | एसीटोन | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | क्र. सं. 6 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक तथा निर्यातक | | 179.65 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 8 | 29141100 | एसीटोन | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त कोई अन्य देश | कोई भी | कोई भी | 179.65 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 9 | 29141100 | एसीटोन | विषयगत देशों के अतिरिक्त कोई अन्य | दक्षिण अफ्रीका | कोई भी | कोई भी | 179.65 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 10 | 29141100 | एसीटोन | अमरीका | अमरीका | कोई भी | कोई भी | 213.76 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 11 | 29141100 | एसीटोन | अमरीका | अमरीका के अतिरिक्त कोई अन्य देश | कोई भी | कोई भी | 213.76 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 12 | 29141100 | एसीटोन | विषयगत देशों के अतिरिक्त कोई अन्य | अमरीका | कोई भी | कोई भी | 213.76 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 13 | 29141100 | एसीटोन | यूरोपिय संघ | यूरोपिय संघ | कोई भी | कोई भी | 277.85 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 14 | 29141100 | एसीटोन | यूरोपिय संघ | विषयगत देशों के अतिरिक्त कोई अन्य | कोई भी | कोई भी | 277.85 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |
| 15 | 29141100 | एसीटोन | विषयगत देशों के अतिरिक्त कोई अन्य | यूरोपिय संघ | कोई भी | कोई भी | 277.85 | मीट्रिक टन | अमरीकी डालर |

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

**स्पष्टीकरण**:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर

के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/65/2007-टीआरयू (भाग-II]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2014

**No. 10 /2014-CUSTOMS (ADD)**

**G.S.R. 178(E).—**Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/1/2012-DGAD, dated the 15th June, 2012, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Acetone (hereinafter referred to as subject goods) falling under tariff item 2914 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from European Union, South Africa, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 33/2008-Customs dated the 11th March, 2008 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. No.174 (E), dated the 11th March, 2008, as amended by notification No. 29/2012-Customs (ADD) dated the 29th May, 2012 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. No.398 (E), dated the 29th May, 2012.

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries upto and inclusive of the 18th June, 2013 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2012-Customs (ADD) dated the 19th July, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R No.579 (E), dated the 19th July, 2012.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority *vide* its final findings, No. 15/1/2012-DGAD dated the 13th December, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, has come to the conclusion that-

(i) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices if the anti-dumping duties in force cease to operate and the situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti dumping duties from subject countries are allowed to cease;

(ii) The deterioration in the performance of the domestic industry is likely to be because of dumped imports from subject countries;

(iii) The anti dumping duty is required to be extended from subject countries,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the

corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table.

**TABLE**

| Sl. No | Tariff Item | Description of Goods | Country of origin | Country of export | Producer | Exporter | Amount | Unit of Measur-ement | Curr-ency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | 2914 11 00 | Acetone | Singapore | Singapore | Any | M/s Mitsui and Co. Ltd. | 158.11 | MT | US Dollar |
| 2. | 2914 11 00 | Acetone | Singapore | Singapore | Any | M/s Sumitomo Corporation and M/s Petrochem Middle East FZE, UAE | 147.15 | MT | US Dollar |
| 3. | 2914 11 00 | Acetone | Singapore | Singapore | Any combination of producer and exporter other than at SI. No. 1 and 2 | | 240.06 | MT | US Dollar |
| 4. | 2914 11 00 | Acetone | Singapore | Any country other than Singapore | Any | Any | 240.06 | MT | US Dollar |
| 5. | 2914 11 00 | Acetone | Any country other than subject countries | Singapore | Any | Any | 240.06 | MT | US Dollar |
| 6. | 2914 11 00 | Acetone | South Africa | South Africa | M/s Sasol Solvents | M/s Sasol Solvents | 141.95 | MT | US Dollar |
| 7. | 2914 11 00 | Acetone | South Africa | South Africa | Any combination of producer and exporter other than at SI. No. 6 | | 179.65 | MT | US Dollar |
| 8. | 2914 11 00 | Acetone | South Africa | Any country other than South Africa | Any | Any | 179.65 | MT | US Dollar |
| 9. | 2914 11 00 | Acetone | Any country other than subject countries | South Africa | Any | Any | 179.65 | MT | US Dollar |
| 10. | 2914 11 00 | Acetone | United States of America | United States of America | Any | Any | 213.76 | MT | US Dollar |
| 11. | 2914 11 00 | Acetone | United States of America | Any country other than United States of America | Any | Any | 213.76 | MT | US Dollar |
| 12. | 2914 11 00 | Acetone | Any country other than subject countries | United States of America | Any | Any | 213.76 | MT | US Dollar |
| 13. | 2914 11 00 | Acetone | European Union | European Union | Any | Any | 277.85 | MT | US Dollar |
| 14. | 2914 11 00 | Acetone | European Union | Any country other than European Union | Any | Any | 277.85 | MT | US Dollar |
| 15. | 2914 11 00 | Acetone | Any country other than subject countries | European Union | Any | Any | 277.85 | MT | US Dollar |

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

*Explanation.*- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred

by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No.354/65/2007-TRU (Pt.-II)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

## सं. 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 179(अ).—**अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसे बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित मेटा फिलायलीन डायामाइन(एमपीडीए) (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है)जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित ) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 1 जनवरी, 2013 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 14/04/2012-डीजीएडी, तारीख 1 जनवरी, 2013 संबद्ध देश में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गये संबद्ध माल के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ।

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी के उपर्युक्त प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2013- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 22 मार्च, 2013, जिसे सा0का0नि0 187(अ) दिनांक मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं0 14/4/2012-डीजीएडी, 17 दिसम्बर, 2013 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ii) विषयगत देश से संबद्ध माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा संबद्ध वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की

प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

**सारणी**

| क्र.स. | शीर्ष/उपशीर्ष | वस्तु विवरण | उद्गम देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | मापन की इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 29215120 और 29215190 | 'मेटा फिनायलीन डायामाइन ' (एमपीडीए)* | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | जियांगशु टियांगजीआई केमिकल कं. लि. | चैंगशैन हाईचेंग केमिकल कं. लि. | 0.574 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 2 | 29215120 और 29215190 | 'मेटा फिनायलीन डायामाइन ' (एमपीडीए)* | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | झेजियांग अमीनो केमिकल कं. लि. | झेजियांग अमीनो केमिकल कं. लि. | 0.615 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 3 | 29215120 और 29215190 | 'मेटा फिनायलीन डायामाइन ' (एमपीडीए)* | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | कम. सं. 1 और 2 में उल्लिखित उपर्युक्त उत्पादक और निर्यातक के अलावा कोई अन्य संयोजन | | 0.780 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 4 | 29215120 और 29215190 | 'मेटा फिनायलीन डायामाइन ' (एमपीडीए)* | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई | कोई | कोई | 0.780 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |
| 5 | 29215120 और 29215190 | 'मेटा फिनायलीन डायामाइन ' (एमपीडीए)* | चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य | चीन जनवादी गणराज्य | कोई | कोई | 0.780 | कि.ग्रा. | अमरीकी डालर |

नोट *मेटा फिनायलीन डायामाइन (एमपीडीए) को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है एम- फिनायलीन डायामाइन, 1. 3-डायमीनोबेन्जीन, 1, 3-बेन्जीनडायामाइन, एम-अमीनोएनीलाइन, एम-बेंजीनडायामाइन, एम-डायामीनोबेनजीन, 1,3-फिनायलीनडायामाइन, 3-एमीनोएनीलाइन, एम-फिनायलीनडायामाइन, फिनायलीनडायामाइन और एम-अमीनोएलाइन, फिनायलीनडायामानइन, मेटा ।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम अधिसूचना द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की तारीख से यानि की 22 मार्च, 2013 से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

**स्पष्टीकरण**:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त

मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/26/2013-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2014

**No. 11/2014-CUSTOMS (ADD)**

**G.S.R. 179(E).—**Whereas, in the matter of Meta Phenylene Diamine (MPDA) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from, the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 14/04/2012-DGAD dated 1st January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st January, 2013, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2013 –Customs (ADD), dated 22nd March, 2013, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.187 (E), dated the 22nd March, 2013;

And whereas, the designated authority in its final findings vide notification No. 14/04/2012-DGAD dated 17th December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th December, 2013, had come to the conclusion that-

(a) The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject country;

(c) The material injury has been caused by the dumped imports of subject imports from the subject country;

and had recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table.

**TABLE**

| Sl.No. | Tariff Item | Description of goods | Country of origin | Country of export | Producer | Exporter | Amount | Unit | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 2921 51 20, 2921 51 90 | Meta Phenylene Diamine (MPDA) | People's Republic of China | People's Republic of China | Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Ltd | Changshan Haicheng Chemical Co. Ltd. | 0.574 | Kg | US Dollar |
| 2 | 2921 51 20, 2921 51 90 | Meta Phenylene Diamine (MPDA) | People's Republic of China | People's Republic of China | Zhejiang Amino-Chem Co. Ltd | Zhejiang Amino-Chem Co. Ltd | 0.615 | Kg | US Dollar |
| 3 | 2921 51 20, 2921 51 90 | Meta Phenylene Diamine (MPDA) | People's Republic of China | People's Republic of China | Any combination other than mentioned in Sl. no. 1 & 2 of above producer and exporter | | 0.780 | Kg | US Dollar |
| 4 | 2921 51 20, 2921 51 90 | Meta Phenylene Diamine (MPDA) | People's Republic of China | Any other than People's Republic of China | Any | Any | 0.780 | Kg | US Dollar |
| 5 | 2921 51 20, 2921 51 90 | Meta Phenylene Diamine (MPDA) | Any other than People's Republic of China | People's Republic of China | Any | Any | 0.780 | Kg | US Dollar |

Note- MPDA is also known as *m*- Phenylene Diamine, 1,3- diaminobenzene, 1, 3- Benzenediamine, m-Aminoaniline, m-Benzenediamine, m- Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, 3- Aminoaniline, m-Fenylendiamin, Phenylenediamine, and m-Aminoaline, Phenylenediamine meta.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, 22nd March, 2013 and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.*- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/26/2013-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.